Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बालोतरा में कृषि पर्यवेक्षक 2 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *09 सितम्बर, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत पायला कल्ला, सिणधरी, जिला बालोतरा को परिवादी से **2 हजार 500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मुख्यमंत्री तारबंदी योजना में अनुदान राशि 40 हजार रुपये का अंतिम भुगतान करने की एवज में अशोक कुमार कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत पायला कल्ला, सिणधरी, जिला बालोतरा द्वारा **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी बाडमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री संग्राम सिंह भाटी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बालोतरा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक कुमार पुत्र श्री मम्माराम निवासी ग्राम पंचायत रामपुरा, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा हाल कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत पायला कल्ला, सिणधरी, जिला बालोतरा को परिवादी से **2 हजार 500 रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।